लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2183

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सेल

2183. श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक बैंक से दूसरे बैंक मे रिज़र्व, अधिशेष, नकदी और बैंक निधि (जो किसी कंपनी के तुलना पत्र का हिस्सा भी है) के अंतरण/विपथन से संबंधित प्रत्येक सीपीएसई में वित्त विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रत्येक सीपीएसई में ऐसे तंत्र/दिशानिर्देश/नीतियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2011 से लेकर आज तक 'सेल' और आरआईएनएल द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में ऐसी निधि के अलग-अलग अंतरण का घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी घटनाओं का घटना-वार ब्यौरा क्या है जहां 'सेल' और आरआईएनएल द्वारा एक सरकारी क्षेत्रक के बैंक से निजी क्षेत्रक के बैंक में राशि में अंतरण किया गया; और

(ङ) सरकार या सेल अथवा आरआईएनएल के प्रबंधन द्वारा यह जांच करने के लिए क्या तंत्र बनाया गया है कि कोई अधिकारी अपने बैंक में उक्त राशि का अंतरण करने के एवज में इसका अनुचित लाभ तो प्राप्त नहीं कर रहा?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/18 (1)/2012-वित्त के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा अधिशेष निधि के निवेश के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीएसई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धनराशि जमा करने के मामलों सहित निवेश संबंधी निर्णय से पहले पूर्ण सतर्कता बरतने का प्रावधान है। ये दिशा-निर्देश सीपीएसई द्वारा अधिशेष निधि के निवेश हेतु व्यापक रूपरेखा/सिद्धांतों को तैयार करने के अतिरिक्त निधि की सुरक्षा, परिणाम संबंधी जोखिमों, नकदी की आवश्यकता तथा लागू कानूनों के मामले में सीपीएसई बोर्ड के कतिपय दायित्वों का भी निर्धारण करते हैं। इसके अलावा, डीपीई के दिशा-निर्देशों में ऐसे मामलों की सूचना नियमित रूप से बोर्ड को दिए जाने की शर्त भी रखी गई है।

(ग) से (ङ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) दोनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ वित्तीय लेन-देन करते रहे हैं। जैसा कि सेल और आरआईएनएल ने सूचित किया है, अधिशेष निधि का निवेश, यदि कोई हो, डीपीई के दिशा-निर्देशों के फ्रेमवर्क तथा सेल व आरआईएनएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति/पद्धति के अनुसार ही विनियमित किया जाता है। सभी निवेश निर्णयों की सरकारी लेखा परीक्षकों के साथ-साथ, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है।

****